शिक्षा का अधिकार कानून प्रभावी ढंग से
लागू करने के लिए 21 सूत्रीय दिशा–निर्देश

1. 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु तक हर बच्चे को निकटत्तम पड़ोस* के स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। यह अधिकार स्कूल में प्रवेश पाने के बाद आठवीं कक्षा पूर्ण होने तक हासिल है, भले ही आयु 14 वर्ष से ज्यादा हो जाए। आठवीं कक्षा तक शिक्षा हासिल करने में बच्चे को ऐसी कोई फीस देने की जरूरत नही, जिसकी वजह से उसकी शिक्षा अधूरी रहने का खतरा हो।
2. अगर 6 वर्ष से ज्यादा आयु होने पर भी बच्चे का स्कूल में प्रवेश नही हुआ है तो उसकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा। अगर बच्चे को उसकी आयु के अनुसार बडी कक्षा में प्रवेश दिया जाता है तो उसे अधिकार है कि वह अपने समकक्ष बच्चों के अनुरूप शिक्षा हासिल करने के लिए विशेष प्रशिक्षण पाये। ऐसे बच्चे को 14 वर्ष की आयु के बाद भी आठवीं कक्षा की शिक्षा पूरी होने तक शिक्षा का अधिकार है।
3. जिस स्कूल में आठवीं कक्षा तक शिक्षा का प्राविधान नही है, यानि स्कूल पांचवीं कक्षा तक है, तो वहां बच्चे को अन्य स्कूल में दाखिला हासिल करने के लिए टी0सी0 लेने और अन्य स्कूल में प्रवेश पाने का पूरा अधिकार है। जिस स्कूल में प्रवेश पाया जाना है उस स्कूल में किसी भी आधार पर विलम्ब नही किया जायेगा। टी0सी0 देते समय एडवांस स्कूल फीस नही ली जायेगी। टी0सी0 देने में विलम्ब करने वाले स्कूल हैड मास्टर या इंचार्ज पर सेवा शर्तो के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।

प्रशासन के लिए–

4. स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह ऊपर लिखे दिशा–निर्देशो का अपने क्षेत्र में पालन करवाये। जिला शिक्षा अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वह स्कूलो के काम–काज पर निगरानी रखे और स्कूलों का वार्षिक कलेण्डर तय करें। अध्यापकों को कानून के मुताबिक स्कूल में व्यवहार करने का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए।

स्कूलो–अध्यापकों की जिम्मेदारी–

5. सभी सरकारी स्कूलों में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जायेगी।
6. सरकार से अनुदान पाने वाले स्कूलों** में न्यूनत्तम 25 प्रतिशत छात्रों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देनी होगी।
7. किसी तरह का सरकारी अनुदान न पाने वाले अल्पसंख्यक कैटेगिरी के स्कूलों पर संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 का ध्यान रखते हुए आर.टी.ई. एक्ट लागू होगा। सिर्फ धार्मिक शिक्षण संस्थाओं पर आर.टी.ई. पूर्णतयः लागू नहीं होगा।

8. जिन स्कूलों में प्रथम श्रेणी से पहले प्री–स्कूल शिक्षा का प्राविधान है वहां मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान प्री–स्कूल शिक्षा से लागू होगा।
9. सरकार से अनुदान न पाने वाले स्कूलों में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के तहत प्रवेश पाने वाले कमजोर और वंचित वर्गो*** के 25 प्रतिशत बच्चों को प्रवेश देना होगा और उन्हें आठवीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा देनी होगी। जिसकी फीस, पाठय पुस्तकें, गणवेश एवं मध्या भोजन की भरपाई सरकार करेगी, जो कि प्रति बालक सरकारी स्कूल में खर्चे या वास्तविक खर्च में से जो कम होगा, उसके आधार पर तय की जायेगी। दो अप्रैल 2012 को सरकारी आदेश से फीस 1383 रूपये प्रतिमाह और गणवेश पर 400 रूपये प्रतिवर्ष के अतिरिक्त पांचवी कक्षा तक 150 रूपये और उससे ऊपर 250 रूपये पुस्तकें प्रतिवर्ष व मिडे डे मिल पर अधिकत्तम 1165–1547 तक किए गए है।
10. स्कूलों में किसी तरह की कैपीटेशन फीस या बच्चों या उनके माता–पिता या उनके अभिभावकों का किसी तरह का स्क्रिनिंग टेस्ट नही होगा। अगर कोई स्कूल कैपीटेशन फीस लेता है तो उसे ली गयी कैपीटेशन फीस से 10 गुना तक जुर्माना किया जा सकता है।
11. अगर कोई स्कूल किसी तरह के स्क्रिनिंग टेस्ट की पद्वति अपनाता है तो उस पर पहली बार 25 हजार रू0 और दूसरी बार 50 हजार रू0 जुर्माना ठोका जा सकता है। इसके बाद भी शिकायत आती है तो हर बार 50 हजार रू0 तक जुर्माना किया जा सकता है।

12. प्रवेश के लिए जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण कानून 1886 या अन्य किसी मान्य दस्तावेज का आधार मान्य होगा लेकिन आयु का प्रमाण–पत्र नहीं होने के आधार पर स्कूल में प्रवेश नही रोका जा सकता।
13. स्कूल में प्रवेश हासिल करने के बाद किसी भी बच्चे को उसकी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक न तो फेल किया जायेगा और न ही स्कूल से निकाला जायेगा (कानून की धारा 16)।
14. स्कूल में किसी तरह की शारीरिक या मानसिक सजा नहीं दी जा सकती। आर0टी0ई0 कानून की इस धारा 17 का उल्लघंन करने वाले अध्यापक पर अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई होगी। स्कूल प्रशासन प्रिंसिपल या अध्यापक पर कार्रवाई नही करेंगे तो प्रशासन प्रबंधन पर कार्रवाई करेगा, विद्यालय की मान्यता भी रद्द हो सकती है।

<u>शिक्षा विभाग के लिए–</u>

15. आर0टी0ई0 एक्ट लागू होने के 3 साल बाद (यानि सितम्बर 2012 से) सभी निजी और ट्रस्टों इत्यादि के स्कूलों को इस कानून का पालन करने संबंधी नियम, कायदे अपनाने होंगे और मान्यता का प्रमाण–पत्र लेना होगा। अगर स्कूल आर0टी0ई0 एक्ट के प्राविधानो को नही मानते तो उन्हें मान्यता नही दी जा सकती और सरकार मान्यता वापस ले लेगी। कानून की

धारा 18 (3) के तहत मान्यता वापस लिये जाने के बाद स्कूल काम नही कर सकता। इसके बाद भी यदि स्कूल चलता है तो स्कूल चलाने वाले पर 1 लाख रू0 जुर्माना और उसके बाद प्रतिदिन के हिसाब से 10 हजार रू0 जुर्माना वसूल किया जायेगा।

16. गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को छोडकर हर स्कूल को स्कूल प्रबंध समिति का गठन करना होगा जिसमें स्थानीय प्रशासन के चुने हुए प्रतिनिधि, बच्चों के अभिभावक शामिल होंगे। समिति में तीन–चौथाई सदस्य अभिभावक होंगे। कमजोर और पिछड़े वर्ग के अभिभावकों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। समिति में 50 फीसदी महिलाएं होंगी। समिति स्कूल की कार्य पद्वति को मॉनिटर करेगी, स्कूल का विकास कार्यक्रम तय करेगी। सरकार से मिलने वाले अनुदान के खर्चे की निगरानी करेगी। प्रत्येक स्कूल में शिकायत पेटिका लगाई जाए, जिसे प्रबंध समिति की बैठक के समक्ष खोला जाय।
17. गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में अध्यापक–अभिभावक संघ बनाए जाएं जिनमें दो–तिहाई सदस्य अभिभावक हों। बैठक हर माह हो। प्रत्येक स्कूल में शिकायत पेटिका होनी चाहिए। जिसे अध्यापक–अभिभावक संघ की मासिक बैठकों के समक्ष खोला जाय।

<u>राज्य सरकार के लिए–</u>

18. स्कूल अध्यापकों का जनगणना, आपदा राहत कार्यो और निर्वाचन संबंधी कार्यो को छोड़कर सरकार किसी अन्य डयूटी पर इस्तेमाल नही करेगी।
19. शिक्षकों की ओर से प्राईवेट टयूशन पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू होगा।
20. प्रत्येक विद्यालय भवन में पर्याप्त कक्षा–कक्ष, शौचालय, मध्याहन भोजन हेतु रसोईघर, खेल का मैदान तथा चारदीवारी की अनिवार्यता होगी।
21. प्रत्येक विद्यालय में टी0एल0ई0, पुस्तकालय, खेल सामग्री आदि की अनिवार्य उपलब्धता होगी।

(नोट– * निकट के स्कूल का अभिप्राय पांचवीं कक्षा तक घर से 01 किमी0 और आठवीं कक्षा तक 03 किमी0। ** सरकार से किसी भी तरह का अनुदान या जमीन या बिल्डिंग बनाने का खर्च या शिक्षा सामग्री या अन्य कोई सुविधा हासिल करने वाले स्कूलों को अनुदान हासिल स्कूल माना जायेगा।

*** वार्षिक 55000 या उस से कम आमदनी को कमजोर वर्ग में रखा गया है। बीपीएल कार्डधारी, अनाथ बच्चे, अनु0, अनु0जनजाति, विकलांग और निशक्त मुफ्त शिक्षा के अधिकारी होंगे।)

सभी शिक्षा संस्थाओं में बच्चो को सजा बंद करने संबंधी
उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशा–निर्देश

1. सभी बच्चों को अभियान चलाकर सूचित किया जाय कि उन्हें स्कूलो में दी जाने वाली सजा के खिलाफ बोलने और अधिकारियों के ध्यान में लाने का अधिकार है। शिकायत करने के लिये बच्चों का आत्म विश्वास बढ़ाया जाना चाहिए। उन्हें बताया जाना चाहिए कि उन्हें सजा को सामान्य गतिविधि के तौर पर स्वीकार नही करना चाहिए।
2. सभी स्कूलो, हॉस्टलों, न्यायिक ग्रहो, शैलटर होम्स और बच्चों के लिये बने अन्य संस्थानो में ऐसा मंच होना चाहिए जहां वे अपनी बात खुलकर कर सकें। इस मामले में संस्थायें गैर सरकारी संगठनो से मदद ले सकती हैं।
3. बच्चो को अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिये हर स्कूल में शिकायत पेटिका होनी चाहिए।
4. हर स्कूल में अध्यापक–अभिभावक संघ का गठन हो, जिसकी हर माह बैठक होनी चाहिए। गांवो में अगर अध्यापक–अभिभावक संघ का गठन न हो तो गांव शिक्षा समिति का गठन किया जा सकता है, जो बच्चों की शिकायत पर ध्यान दें।
5. अध्यापक–अभिभावक संगठनो को चाहिए कि वे बच्चों की शिकायत पर बिना विलम्ब त्वरित कार्रवाई करें ताकि ऐसा न हो कि पिटाई करने वाले अध्यापको का मनोबल बढ़ता जाय।
6. अभिभावको और बच्चों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे पिटाई करने वाले अध्यापक के खिलाफ बोल सकें, उन्हें स्कूल में बच्चे की भागीदारी पर प्रतिकूल प्रभाव का भय नही होना चाहिए।
7. शिक्षा विभाग में तीनो स्तरो पर (ब्लॉक, जिला और राज्य) एक प्रणाली गठित की जानी चाहिए जिसके तहत बच्चों की शिकायतों पर हुई कार्यवाही की समीक्षा और निगरानी हो सके।